

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या- प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन/2020-21/497

लखनऊ : दिनांक 18/03-2021

—:: आदेश ::—

नवीन विशेषज्ञ

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या-1961/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या-965/सेक-2-पॉच-16-7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित चिकित्सकों को परामर्शी (कन्सल्टेंट) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

- 1- पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सल्टेंट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
- (2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
- (3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।
- (4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भौति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
- (5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधानित है।
- (6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
- (7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भौति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।
- (8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है, यदि कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- 3- सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

- 4- यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० के संज्ञान में लाया जाय।
- 5- पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि, जो भी बाद में हो, से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान करना होगा, यदि पुनर्योजित परामर्शी उपरोक्तानुसार 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं। तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	Specialist	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Khursheed Ahmad Siddiqui	6394	15-01-1959	31-01-2021	Pathologist	RLB Hospital Lucknow
2.	Dr. Shiv Shankar Pandey	7161	12-12-1958	31-12-2020	Anesthetist	District Male Hospital Mirzapur
3.	Dr. Rakesh Kumar Dhall	5870	28-07-1958	31-07-2020	ENT Specialist	District Male Hospital Moradabad
4.	Dr. Ashok Shukla	6611	14-11-1958	30-11-2020	TB Chest Disease Specialist	District Male Hospital Gautam Buddha Nagar
5.	Dr. Shri Krishna Gopal Singh	6158	05-11-1958	30-11-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Sonbhadra
6.	Dr. Piyush Rastogi	8996	13-11-1958	30-11-2020	Radiologist	District Male Hospital Budaun
7.	Dr. Ram Bharose Pandey	7122	19-07-1958	31-07-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Fatehpur
8.	Dr. Narendra Singh	8063	01-07-1957	30-06-2019	Cardiology Specialist	Dr. SPM (Civil) Hospital Lucknow
9.	Dr. Krishna Yadav	7779	15-01-1959	31-01-2021	Gynecologist	District Female Hospital Gautam Buddha Nagar
10.	Dr. Shakeel Ahmad	7177	03-07-1958	31-07-2020	TB Chest Disease Specialist	District Male Hospital Kannauj
11.	Dr. Javed Ahmad Khan	9888	30-06-1958	30-06-2020	Pathologist	Dr. SPM (Civil) Hospital Lucknow
12.	Dr. Kishori Lal	7401	04-08-1957	31-01-2019	Eye Surgeon	District Male Hospital Lalitpur
13.	Dr. Bhagawati Prasad	7076	01-05-1958	30-04-2020	Ophthalmologist	District Male Hospital Banda
14.	Dr. Shri Kant Bajpai	10249	15-12-1958	31-12-2020	Pathologist	District Male Hospital Banda
15.	Dr. Arun Kumar Pandey	5513	01-01-1959	31-12-2020	Surgeon	District Male Hospital Ghazipur
16.	Dr. Kapil Deo Prasad	7510	13-07-1958	31-07-2020	Paediatrician	District Male Hospital Gorakhpur
17.	Dr. Ajay Kumar Agarwal	9416	01-01-1959	31-12-2020	Surgeon	Under CMO Lucknow
18.	Dr. Jawahar Lal Maurya Kushwaha	6750	15-10-1958	31-10-2020	ENT Specialist	District Male Hospital Fatehpur
19.	Dr. Mahendra Kumar Gupta	7204	08-01-1959	31-01-2021	Pathologist	District Male Hospital Hapur
20.	Dr. Awadhesh Kumar Singh	6676	01-07-1958	30-06-2020	Surgeon	District Male Hospital Sant Kabir Nagar
21.	Dr. Ram Kumar Jaiswal	8904	15-12-1958	31-12-2020	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Jaunpur
22.	Dr. Kamlesh Pratap Singh	10515	25-11-1958	30-11-2020	Anesthetist	District Male Hospital Sultanpur
23.	Dr. Jawaharlal Mangain	8074	02-01-1959	31-01-2021	Skin And Venereal Disease Specialist	District Male Hospital Moradabad
24.	Dr. Uma Kant	4946	25-12-1957	31-12-2019	Paediatrician	100 Bed Hospital Sada Mau Lucknow
25.	Dr. Ram Asrey	8490	15-01-1959	31-01-2021	Anesthetist	District Male Hospital Sant Kabir Nagar
26.	Dr. Ved Prakash Jaiswal	8371	02-10-1958	31-10-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Chandauli
27.	Dr. Kamendra Pal Singh	8403	10-12-1957	31-12-2019	Paediatrician	TB Hospital Thakurganj Lucknow
28.	Dr. Rakesh Pradesh	7898	10-01-1958	31-01-2020	Chest Disease Specialist	District Male Hospital Ayodhya
29.	Dr. Shiv Kumar Dixit	6786	15-12-1958	31-12-2020	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Mathura

30.	Dr. Pitam Singh	7088	01-01-1959	31-12-2020	Pathologist	District Male Hospital Bulandshahr
31.	Dr. Chandra Shekhar Azad	9659	08-12-1958	31-12-2020	Anesthetist	District Male Hospital Gorakhpur
32.	Dr. Manik Chandra	8131	20-01-1959	31-01-2021	Pathologist	District Male Hospital Sonbhadra
33.	Dr. Rajendra Kumar	11562	30-08-1958	31-08-2020	Radiologist	District Male Hospital Fatehpur
34.	Dr. Mohit Kumar Jain	8233	01-02-1959	31-01-2021	Radiologist	District Male Hospital Bulandshahr
35.	Dr. Sumer Singh	10151	01-01-1959	31-12-2020	Urology Specialist	Balrampur Hospital Lucknow
36.	Dr. Rajendra Pratap Rai	6704	01-02-1959	31-01-2021	Paediatrician	District Male Hospital Maharajganj
37.	Dr. Ashok Kumar Pandey	9065	10-01-1959	31-01-2021	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Mirzapur
38.	Dr. Savita Vashisht	6388	09-04-1958	30-04-2020	Gynecologist	District Female Hospital Meerut
39.	Dr. Ramesh Chandra Vyas	7484	05-01-1959	31-01-2021	Anesthetist	District Male Hospital Hathras
40.	Dr. Raj Bahadur Arya	9741	07-12-1957	31-12-2019	Surgeon	District Male Hospital Jalaun
41.	Dr. Kamal Kumar	8874	14-01-1958	31-01-2020	DCH	District Male Hospital Etawah
42.	Dr. Madhu Saxena	5071	25-10-1958	31-10-2020	Gynecologist	District Female Hospital Etah
43.	Dr. Vishnu Kumar Agarwal	7171	07-09-1957	30-09-2019	Eye Surgeon	District Male Hospital Azamgarh
44.	Dr. Yashendra Kumar Verma	6703	23-01-1959	31-01-2021	Social And Preventive Medicine (SPM)	District Male Hospital Unnao
45.	Dr. Rajeev Kumar Sharma	7035	05-06-1957	30-06-2019	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Etah

For Selected Candidate:-

- It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- The time for joining will be 15 days within date of appointment.


महानिदेशक

संख्या-प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन/2020-21/

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3-मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
- 4-संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 5-महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नारायण रोड, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6-सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 7-सम्बंधित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8-चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9-संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर महानिदेशालय के (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- 10- गार्ड फाइल।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

30.	Dr. Pitam Singh	7088	01-01-1959	31-12-2020	Pathologist	District Male Hospital Bulandshahr
31.	Dr. Chandra Shekhar Azad	9659	08-12-1958	31-12-2020	Anesthetist	District Male Hospital Gorakhpur
32.	Dr. Manik Chandra	8131	20-01-1959	31-01-2021	Pathologist	District Male Hospital Sonbhadra
33.	Dr. Rajendra Kumar	11562	30-08-1958	31-08-2020	Radiologist	District Male Hospital Fatehpur
34.	Dr. Mohit Kumar Jain	8233	01-02-1959	31-01-2021	Radiologist	District Male Hospital Bulandshahr
35.	Dr. Sumer Singh	10151	01-01-1959	31-12-2020	Urology Specialist	Balrampur Hospital Lucknow
36.	Dr. Rajendra Pratap Rai	6704	01-02-1959	31-01-2021	Paediatrician	District Male Hospital Maharajganj
37.	Dr. Ashok Kumar Pandey	9065	10-01-1959	31-01-2021	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Mirzapur
38.	Dr. Savita Vashisht	6388	09-04-1958	30-04-2020	Gynecologist	District Female Hospital Meerut
39.	Dr. Ramesh Chandra Vyas	7484	05-01-1959	31-01-2021	Anesthetist	District Male Hospital Hathras
40.	Dr. Raj Bahadur Arya	9741	07-12-1957	31-12-2019	Surgeon	District Male Hospital Jalaun
41.	Dr. Kamal Kumar	8874	14-01-1958	31-01-2020	DCH	District Male Hospital Etawah
42.	Dr. Madhu Saxena	5071	25-10-1958	31-10-2020	Gynecologist	District Female Hospital Etah
43.	Dr. Vishnu Kumar Agarwal	7171	07-09-1957	30-09-2019	Eye Surgeon	District Male Hospital Azamgarh
44.	Dr. Yashendra Kumar Verma	6703	23-01-1959	31-01-2021	Social And Preventive Medicine (SPM)	District Male Hospital Unnao
45.	Dr. Rajeev Kumar Sharma	7035	05-06-1957	30-06-2019	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Etah

For Selected Candidate:-

- It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swasthya Bhawan within 15 days of joining.
- It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swasthya Bhawan within 15 days of joining.
- The time for joining will be 15 days within date of appointment.

संख्या-प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन/2020-21/498-507

महानिदेशक

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3-मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
- 4-संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 5- महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नरायन रोड, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6-सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 7-सम्बंधित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8-चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9-संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर महानिदेशालय के (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- 10- गार्ड फाइल।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)